भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4746
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

4746. **श्री के. सुधाकरन:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बावजूद देश के कार्यबल में महिलाओं की घटती भागीदारी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान महिला कार्यबल भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या मंत्रालय ने नीतिगत कमियों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक आकड़ा का स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। इस सर्वेक्षण की अवधि हर वर्ष जुलाई से जून तक होती है। उपलब्ध नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 से 2023-24 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) इस प्रकार है:

वर्ष	एलएफपीआर (% में)
2021-22	32.8
2022-23	37.0
2023-24	41.7

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस के आंकड़े देश में विगत कुछ वर्षों में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि दर्शाते हैं।

सवेतन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा देश भर में कई योजनाएं और नीतिगत पहलें कार्यान्वित की जा रही हैं।

स्टार्ट-अप की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए, सरकार ने महिला उद्यमिता सहित उद्यमिता को सहायता और बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की है। स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा समर्थित 1,57,066 स्टार्ट-अप में से लगभग आधे का प्रतिनिधित्व से अधिक स्टार्ट-अप 73,000 में कम से कम एक महिला निदेशक है। यह नवोन्मेषी और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 में समर्थकारी प्रावधान किए हैं जिसमें कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक को अनिवार्य किया गया है। परिणामस्वरूप, आज लगभग 11.6 लाख महिला निदेशक सार्वजनिक और निजी कंपनियों से जुड़ी हुई हैं।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार एफएलएफपीआर के साथ-साथ समग्र एलएफपीआर को बढ़ाने के लिए स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएमएसई), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण

कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) जैसी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जो रोजगार/स्वरोजगार और ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) ऋण-से जुड़ी एक प्रमुख सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों में से अधिकांश महिलाएं हैं।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बदलाव का माध्यम मानते हुए, आज 90 लाख एसएचजी से जुड़ी लगभग 10 करोड़ महिलाएं ग्रामीण परिदृश्य को आर्थिक रूप से बदल रही हैं। सरकार नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की तकनीकी क्षमताओं और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है।

महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इसके अलावा, प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना भी महिलाओं को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 'पालना' घटक क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करना प्रमुख क्षेत्र है। पालना के अंतर्गत मंत्रालय ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बच्चों की देखभाल की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आज तक 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 11,395 एडब्ल्यूसीसी को स्वीकृति दी गई है। मंत्रालय कामकाजी महिला छात्रावासों (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) के संचालन और रखरखाव के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। सरकार 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई)' के तहत डब्ल्यूडब्ल्यूएच के निर्माण के लिए राज्यों को पूंजी अनुदान भी प्रदान करती है।

महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में अनेक प्रावधान जैसे कि मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, समान मजदूरी इत्यादि शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए एडवाइजरी" जारी की है। इस एडवाइजरी में अन्य बातों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है जिसमें पितृत्व अवकाश, अभिभावकीय छुट्टी, परिवार में आपात की स्थिति में छुट्टी और लचीली कार्य व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूल उपाय शामिल हैं।

******